न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0 228/2024 अनवान श्रवणराम बनाम मनफूलराम वगैरा

दिनांक 18.10.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 76 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं0 04/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 7–मनफूलराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत अपील मे तहसीलदार बाप द्वारा ग्राम जम्भेश्वर नगर द्वितीय के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 07.12.2022 को चुनौति दी गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय–अति0 जिला कलेक्टर फलौदी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2024 द्वारा अपील अपीलाट स्वीकार कर, अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने उक्त द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 25.9.24 को प्रस्तुत प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण मे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगणों के मध्य राजीनामा हो गया है, जिसके अनुसार प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार करवाने हेतु सहमत है। अतः उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर नो–ऑब्जेक्शन अंकित कर, अपनी बहस में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में उक्त अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने में सहमती व्यक्त की गई है।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर यह भी पाया गया कि आलौच्य प्रकरण में अति0 जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं0 04/2024 में अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किए बिना एवं उसके अवलोकन के बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.7.24 पारित कर दिया गया, जबकि आरएलआर एक्ट की धारा 80 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड तलब किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नही होने से तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की इस्तदुआ पर उक्त अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं0 04/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 निरस्त किया जाकर अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 07.12.2022 को पुनः बहाल किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक 18.10.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार बाप को निर्णय की सत्यप्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

18.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर